पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/...07 (स्वी०) पं०रा०

**बिहार सरकार**
**पंचायती राज विभाग**

प्रेषक:

**कल्पना कुमारी,**
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, रोहतास, शेखपुरा एवं शिवहर।

पटना, दिनांक ...15.04.2020...

**विषय: विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 के आलोक में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय किस्त से जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु) के लिए स्वीकृत अनिकासित कुल ₹15.05 करोड़ (पन्द्रह करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 द्वारा पंचम राज्य वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद की कुल ₹1401.17 करोड़ (चौदह अरब एक करोड़ सत्रह लाख रूपये) मात्र की अनिकासित राशि को वितीय वर्ष 2020-21 में राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायत कार्यालय के बीच वितरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु के लिए स्वीकृत कुल ₹15.05 करोड़ (पन्द्रह करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र की राशि की राशि स्वीकृत है।

2. **उक्त विभागीय राज्यादेश के आलोक में इस आवंटनादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी–4 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020–21 में जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु के लिए स्वीकृत कुल ₹15.05 करोड़ (पन्द्रह करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

4. इस राशि की निकासी वितीय वर्ष 2020-21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00–लघु शीर्ष 196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0007 राज्य वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान" के विषय शीर्ष '0007.31.06–सहायक

अनुदान- गैर वेतन से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001960007 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

**अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।**

**(कल्पना कुमारी)**
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/09 (स्था०) पं०रा० पटना, दिनांक 14.04.2020
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।**

**(कल्पना कुमारी)**
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/09 (स्था०) पं०रा० पटना, दिनांक 14.04.2020
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।**

**(कल्पना कुमारी)**
अनुश्रवण पदाधिकारी

# विवरणी 4

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019--20 के द्वितीय किस्त से जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु) के लिए स्वीकृत अनिकासित राशि को वित्तीय वर्ष 2020 21 में आवंटन की विवरणी:--

| क्र | जिला | कुल आवंटित राशि (रूपये में) |
|---|---|---|
| | | विषय शीर्ष 0007.31.06 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Araria | 11500000 |
| 2 | Arwal | 10000000 |
| 3 | Aurangabad | 11500000 |
| 4 | Banka | 0 |
| 5 | Begusarai | 11500000 |
| 6 | Bhagalpur | 0 |
| 7 | Bhojpur | 11500000 |
| 8 | Buxar | 0 |
| 9 | Darbhanga | 0 |
| 10 | E.Champaran | 0 |
| 11 | Gaya | 0 |
| 12 | Gopalganj | 11500000 |
| 13 | Jamui | 0 |
| 14 | Jehanabad | 10000000 |
| 15 | Kaimur | 0 |
| 16 | Katihar | 11500000 |
| 17 | Khagaria | 10000000 |
| 18 | Kishanganj | 10000000 |
| 19 | Lakhisarai | 10000000 |
| 20 | Madhepura | 0 |
| 21 | Madhubani | 0 |
| 22 | Munger | 0 |
| 23 | Muzaffarpur | 0 |
| 24 | Nalanda | 0 |
| 25 | Nawada | 0 |
| 26 | Patna | 0 |
| 27 | Purnea | 0 |
| 28 | Rohtas | 11500000 |
| 29 | Saharsa | 0 |
| 30 | Samastipur | 0 |
| 31 | Saran | 0 |
| 32 | Sheikhpura | 10000000 |
| 33 | Sheohar | 10000000 |
| 34 | Sitamarhi | 0 |
| 35 | Siwan | 0 |
| 36 | Supaul | 0 |
| 37 | Vaishali | 0 |
| 38 | W.Champaran | 0 |
| Total :- | | 150500000 |

(पन्द्रह करोड़ पाँच लाख रूपये) मात्र